राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 13206/2019

श्रीमती बसंती देवी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी डी-100, आजाद नगर, पन्नाधाय सर्कल के पास, भीलवाड़ा, राजस्थान----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से , राजस्थान राज्य,सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

2. प्रिंसिपल, एम.आई.वी गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा, राजस्थान।

3. रजिस्ट्रार, एम.आई.वी गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा, राजस्थान----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री एस.के. मलिक

प्रतिवादी(ओं) के लिए:- कोई भी उपस्थित नहीं

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

07/02/2024

1. स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा की विधवा इस न्यायालय के समक्ष अपने पति, जिन्होंने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (एक तृतीय श्रेणी का पद) के रूप में काम किया था, की पैरवी कर रही हैं। उत्तरदाताओं से अपनी परिवेदना को कम करने की उम्मीद में एक से दूसरे स्थान पर दौड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अंत में, उन्हें इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी, जो कई मुकदमों के माध्यम से प्रतीत होता है। इसके बारे में और बाद में।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 26.07.2019 (अनुलग्नक-पी-20) के एक आक्षेपित आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके अनुसार Rs.28,01,530/- की वसूली का निर्देश इस आधार पर दिया गया था कि 7 वें वेतन आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के मृत पति के वेतन को फिर से निर्धारित करने पर अपनी रिपोर्ट देने के बाद, यह पता चला कि उन्हें पहले विभाग द्वारा गलती से उच्च वेतन बैंड दिया गया था। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता थी। उक्त सुधार के बाद, विधवा को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी कारण बताए नोटिस जारी किए और/या किसी अन्य अवसर के अनुसार अंतिम लाभों से Rs.10,83,686/- की राशि बरामद की गई।

4. पहले मामले के संक्षिप्त तथ्य, पहले मामले के संक्षिप्त तथ्य, अनावश्यक विवरण को हटाकर।

4. 1 याचिकाकर्ता के दिवंगत पति को, उनकी छठी बैठक के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से अनुमोदन के बाद, (सहायक लाइब्रेरियन के रूप में) 2,000-3,200 रुपये के ग्रेड में 01-07-95 से प्रभावी वेतनमान दिया गया था। 1996 में वेतन संशोधन के बाद, उनको रु. 6,500-10,500 वेतनमान दिया गया था। बाद में, 27-03-2000 से प्रभावी प्रथम चयन ग्रेड में वेतनमान 8,000-13,500 प्रदान किया गया।। उनके वेतन का आगे संशोधन छठे वेतन आयोग के तहत 01-09-06 से हुआ, और उनका वेतन 5,400/-रुपये के ग्रेड वेतन के साथ रुपये 9,300-34,800 के पैमाने में तय किया गया था। हालाँकि, महालेखाकार के कार्यालय द्वारा आपत्तियाँ उठाई गईं। एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11652/2010 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पति द्वारा द्वितीय चयन श्रेणी के अनुदान के साथ-साथ उक्त आपत्तियों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

4. 2. उपरोक्त रिट याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित 21.08.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। उत्तरदाताओं को तीन महीने के भीतर चयन श्रेणी सहित बकाया और अन्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया था। उक्त एकल पीठ के आदेश को अदालत के भीतर डी. बी. अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। डी. बी. की अपील को 09.03.2017 के एक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

4.3 इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने एक समीक्षा याचिका भी दायर की, जिसे भी इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांकित 08.03.2018 के एक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इसके बाद, इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, द्वितीय चयन श्रेणी को पी. बी. (3) में 6000/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में 15,600-39,100 रुपये के साथ 27-03-09 से बकाया के साथ प्रभावी घोषित किया गया।

4. 4 उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा वेतन निर्धारण के लिए पारित किए गए उपरोक्त आदेश न केवल अंतिम हो गए हैं, बल्कि उन्हें विधिवत रूप से लागू भी किया गया है।

4. 5 तथापि, याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु (19.12.2018 को मृत्यु) के बाद, दिनांक (12.07.2019) (अनुलग्नक-P/21) के आक्षेपित आदेश के अनुसार, वर्ष 1995 से (लगभग 24 वर्षों की अवधि के बाद) उनका वेतन पूर्वव्यापी रूप से कम कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इसका कारण यह बताया गया है कि उनके वेतन बैंड को अनियमित रूप से मंजूरी दी गई थी। नतीजतन, एक अन्य आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2019 (अनुलग्नक-P/22) के माध्यम से रु. 28,01,530-को अंतिम लाभों के कारण होने का आदेश दिया गया था।

4. 7 इसके अलावा, दिनांक 31.07.2019 (अनुलग्नक-P/21) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, कुल रु. 11,07,499/- की राशि के लिए एक और वसूली का निर्देश दिया गया था, जो याचिकाकर्ता के पति की लाइब्रेरी में पुस्तकों के खो जाने के कारण हुई थी।

5. प्रत्यर्थियों द्वारा दायर उत्तर में उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण आक्षेपित नहीं है। जवाब, वास्तव में, याचिका में किए गए विशिष्ट कथनों के लिए पूरी तरह से टालमटोल है और बल्कि मौन स्वीकारों से भरा है। जवाब की सामग्री से, विभाग द्वारा लिया गया बचाव यह प्रतीत होता है कि एक बार दिए गए गलत लाभ को किसी भी स्तर पर ठीक किया जा सकता है। इसलिए, मृतक कर्मचारी की विधवा से की गई आक्षेपित वसूली में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। अतिरिक्त भुगतान की सही गणना की गई है और तदनुसार अंतिम लाभों से वसूली की गई है। इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है, जबकि कोई भी उत्तरदाताओं की ओर से पेश नहीं होता है।

7. कम से कम कहने के लिए, मैं उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए बचाव की लापरवाही के साथ खुद को मनाने में असमर्थ हूं। कारणों की तलाश ज्यादा दूर नहीं है। आइये देखते हैं कैसे।

7. 1. मान लीजिए, याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय में, एक तृतीय श्रेणी के पद पर काम कर रहा था और इसलिए, अपने पद का लाभ उठाकर खुद को कोई अनुचित वित्तीय लाभ देने के लिए किसी भी प्रशासनिक स्थिति में नहीं था। अन्यथा, एक सहायक लाइब्रेरियन होने के नाते, वह शायद ही अपने वरिष्ठ अधिकारी के किसी भी अनुचित वित्तीय लाभ को देने के निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में थे।

7. 2. यह विभाग का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कथित रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, या कमीशन या चूक के किसी भी गुप्त या स्पष्ट कार्य में लिप्त था, ताकि अपने वरिष्ठों को गलत तरीके से प्रेरित किया जा सके कि वे उसे उच्च वेतन श्रेणी में भुगतान करें, जिसके वह हकदार थे।

7. 3. इस आधार पर, याचिकाकर्ता का मामला पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (4) एस. सी. सी. 334 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। इसलिए, वसूली के आक्षेपित आदेश अकेले उस छोटे से आधार पर अस्थिर हैं और उन्हें अलग रखा जा सकता है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा देय वेतन निर्धारण के दावे के गुण-दोष की ओर ध्यान दिलाते हुए, जैसा कि विशेष रूप से याचिका में उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, उस पर किसी भी उचित प्रतिक्रिया के अभाव में, मेरा विचार है कि विभाग ने उनके अनुसार उचित लाभ का उल्लंघन नहीं किया है। किताबों के नुकसान के कारण, आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन किए बिना संक्षेप में पारित किया गया था। न तो कोई कारणबताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही विधवा को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था और न ही कोई औचित्य, मुमकिन या अन्यथा, रिकॉर्ड से सामने आ रहा है कि मृतक कर्मचारी से पुस्तकों के नुकसान की वसूली के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए या उसे नोटिस में क्यों नहीं रखा गया था। उनकी विधवा, भले ही अब ध्यान में रखी जाए, इस स्तर पर किताबों के नुकसान के बारे में बचाव या साबित करने की स्थिति में नहीं है। मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के साथ पुस्तकों के खोने का आरोप समाप्त हो गया है।

8. 1. विभाग की दृढ़ता शायद याचिकाकर्ता को पहले की मुकदमेबाजी के लाभों से वंचित करती प्रतीत होती है, इसके बावजूद कि विभाग वर्ग पर हार गया है, यानी याचिकाकर्ता के पति द्वारा दायर पहले की रिट याचिका को अनुमति देना, विभाग द्वारा दायर डी. बी. अपील को खारिज करना और विभाग द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करना। एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. No.11652/2010 वाली

पहले की रिट याचिका को निम्नलिखित शर्तों में अनुमति दी गई थीः-

"इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि दिनांक 21.01.2010 (अनुलग्नक-पी/16) के आक्षेपित आदेश में उल्लिखित शर्त संख्या 1 और 2 को अवैध घोषित किया जा सकता है और प्रत्यर्थियों को 2008 के नियमों के तहत 01.09.2006 से वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। भुगतान की तारीख तक इंटरसेट के साथ 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और चयन श्रेणी के अन्य लाभ प्रदान करें। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उक्त शर्त को स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा पहले ही हटा दिया गया है और उक्त तथ्य को साबित करने के लिए एक दस्तावेज़ पहले ही रिकॉर्ड पर रखा गया है जो अनुलग्नक-पी/18 दिनांकित 03.07.2013 है, इसलिए, अब उत्तरदाता याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बकाया नहीं देने की शर्त को उत्तरदाताओं द्वारा पहले ही हटा दिया गया है, इसलिए अब बकाया का भुगतान नहीं करने के लिए कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं है। नतीजतन, इस रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बकाया और चयन श्रेणी सहित अन्य लाभों को जारी करने के निर्देश के साथ किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस आदेश का चार महीने के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार होगा।

10. वास्तव में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही भी शुरू करनी पड़ी और तभी इस न्यायालय द्वारा दी गई राहत को लागू किया गया। हालाँकि, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, उन्हें दिए गए लाभों को 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के तहत वापस ले लिया गया। बल्कि यह समझ से परे है कि याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद वेतन में सुधार की चाल चलाते हुए विभाग द्वारा एक निर्णय, जो एक बार अंतिमता प्राप्त कर चुका था, का इतना घोर उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। वह भी, रफीक मसीह (ऊपर) में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद। इसलिए, सभी मामलों में, विभाग की कार्रवाई अस्थिर है और कम से कम कहने के लिए, यह खेदजनक है कि उसने विधवा को अपने पति की मृत्यु के कारण का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जो जीवन भर व्यर्थ लड़ते रहे और न्याय की मांग करते रहे।

11. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांकित 12.07.2019 (अनुलग्नक-P-19), 26.07.2019 (अनुलग्नक-P-20), 31.07.2019 (अनुलग्नक-P-21) और 31.07.2019 (अनुलग्नक-P-22) के आक्षेपित आदेशों को याचिकाकर्ता के वेतन के निर्धारण सहित अनुसरण किए जाने वाले परिणामों के साथ अलग रखा गया है। बकाया राशि की गणना की जानी चाहिए और सेवा नियमों के अनुसार लागू ब्याज के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

12. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ विभाग से संपर्क करने के तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।